



कार्यालय उप आवासन आयुक्त  
राजस्थान आवासन मण्डल, उदयपुर, वृत्त-उदयपुर  
( RHB Office Building पारस तिराहा सेक्टर-11, उदयपुर-313001 )

E-MAIL - DHCUDPR.RHB@RAJASTHAN.GOV.IN

Phone - 94138 12392  
99839 93914



पत्र क्रमांक :- उप आ.आ./वृत्त-उदय/2023-24/ 2026

दिनांक :- 14/02/2024

आवश्यक सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण अधिनियम 1970 के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत वृत्त उदयपुर के अन्तर्गत (1) शहर की दक्षिण विस्तार आवासीय योजना, उदयपुर में निर्माणाधीन अल्प आय वर्ग (जी+3) के शेष फ्लेट्स आवंटन (2) हिरण मगरी सेक्टर-11, उदयपुर में प्रस्तावित (एस+6) 24 फ्लेट्स आवंटन (3) भीण्डर आवासीय योजना के स्वतन्त्र आवास आवंटन (4) उदयपुर शहर के अवशिष्ट आवासों का आवंटन जिला आवंटन समिति द्वारा कम्प्युटर रेण्डम प्रणाली से लॉटरी द्वारा दिनांक 01.03.2024 को दोपहर 03.00 बजे सम्पन्न की जाएगी। लॉटरी कार्यक्रम विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	कार्यवाही विवरण	दिनांक / समय
1	अस्थायी सूची के प्रकाशन की तिथि	20.02.2024 दोपहर 02.00 बजे
2	आक्षेप प्राप्ति की अन्तिम तिथि एवं समय	23.02.2024 दोपहर 3.00 बजे तक
3	योग्य आवेदकों की अंतिम स्थायी सूची का प्रकाशन	26.02.2024 सायं 4.00 बजे
4	आवास/फ्लेट आवंटन की तिथि एवं समय	01.03.2024 दोपहर 03.00 बजे
5	स्थान	कार्यालय उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-उदयपुर RHB Office Building पारस तिराहा, हिरण मगरी सेक्टर-11, उदयपुर

नोट:-

1. पूर्व ग्रहण राशि की कम से कम एक किस्त जमा करवाकर चालान की फोटो प्रति आक्षेप प्राप्ति की दिनांक 23.02.2024 को दोपहर 3.00 बजे तक प्रस्तुत कर दी जाएगी, उन्हे ही लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा।
2. यदि कोई आवेदक वांछितानुसार सूचना कार्यालय में नहीं देने के कारण प्रस्तावित लॉटरी से वंचित रहता है तो इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
3. इच्छुक आवेदक निर्धारित दिनांक एवं समय पर लॉटरी कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।
4. अस्थाई सूची व स्थायी सूची एवं वरियता लॉटरी की सूची राजस्थान आवासन मण्डल की वेबसाईट <https://urban.rajasthan.gov.in/rhb> पर निर्धारित कार्यक्रमानुसार उपलब्ध रहेगी।
5. लॉटरी में अध्यक्ष, जिला आवंटन समिति का निर्णय सर्वमान्य एवं अन्तिम होगा।

उप आवासन आयुक्त  
वृत्त-उदयपुर